



## सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) परीक्षा-2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 01.01.2024

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि: 29.01.2024

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 02.02.2024

ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार/संशोधन की अंतिम तिथि: 09.02.2024

### महत्वपूर्ण

- (1) (i) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (ii) ओटीआर नम्बर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना संभव नहीं होगा।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर लें।
- (iv) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फीस भुगतान, फाइल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
- (5) अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
- (6) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

**विशेष सूचना :-** (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

#### ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://uppsc.up.nic.in](https://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन ही आवेदन करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1. आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

**User Instructions** में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

**प्रथम चरण - 'APPLY' Click** करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी है) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

**द्वितीय चरण**- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

**तृतीय चरण**- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के

तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES- उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

**चतुर्थ चरण**-तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरांत अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

**2- आवेदन शुल्क** : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप परीक्षा शुल्क रु 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया से कमजोर वर्ग/शुल्क रु 25/- योग = रु 125/-  
अन्य पिछड़ा वर्ग -
- (ii) अनुसूचित जाति/ - परीक्षा शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसूचित जन जाति शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-
- (iii) दिव्यांगजन - परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 25/-
- (iv) भूतपूर्व सैनिक - परीक्षा शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-
- (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी

3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

**नोट:- निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।**

4. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा-2024 में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवानियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

5. **रिक्तियों की संख्या:-** वर्तमान में सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है। रु 9300-34800 ग्रेड पे रु 4600 (केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे रु. 4200) से रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु 5400 तक (छठवें वेतन आयोग के अनुसार) के वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित किये जाते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:-

डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर), जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' (विकास शाखा), अधीक्षक कारागार, प्रबन्धक ऋण (लघु उद्योग), प्रबन्धक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिक अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उप निबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2), जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपकारापाल, प्राविधिक सहायक (भू-भौतिकी), प्राविधिक सहायक (भूतत्व), व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक (राज्य सम्पत्ति विभाग), प्रबन्धक, सायनज्ञ, विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) (खादी तथा ग्रामोद्योग) एवं विधि अधिकारी। उपर्युक्त पदों में से जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है।

शेष पदों में से स्नातक शैक्षिक अर्हता के जो अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जायेंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

**6. आरक्षण:** उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार शैक्षिक आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

**नोट- (1)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

**(2)** शासनादेश संख्या 39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य हैं' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारालीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

**(3)** किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

**(4)** आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

**(5)** उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें।

**(6)** एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

**(7)** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमत्य नहीं है।

**(8)** महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

**(9)** अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**7. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):-**

आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-

**(अ)** ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

**(ब)** ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अप्पडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यदि

**(क)** उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

**(ख)** वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

**(ग)** वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

**8. वैवाहिक प्रारिथ्यति :-** ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

**9. शैक्षिक अर्हता :-** आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में अवश्य करें। किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हतायें भी हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

**लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद**

क्र.सं.	पदनाम	अर्हताएं
1	उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन - "सी" (सांख्यिकी शाखा) के अन्तर्गत, सांख्यिकी अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। <b>नोट-</b> शासन के पत्र सं.-1645/12-1-23-605/22 दिनांक - 29 सितम्बर, 2023 द्वारा पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (जैसा कि ऊपर उल्लिखित है) की समकक्षता के सम्बन्ध में स्पष्ट अर्हता निम्नवत् उपलब्ध करायी गयी है:- "भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि"।
2	सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान ग्रेड-2	(1) (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या (ख) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त से या घोषित किया गया हो, या (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि, और (2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
3	व्यवस्था अधिकारी/व्यस्थापक (राज्य सम्पत्ति विभाग)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि। (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेकनालाजी में डिप्लोमा। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेकनालाजी में स्नातक उपाधि।

		<b>नोट-</b> अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत उल्लिखित "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेकनालाजी में डिप्लोमा" में डिप्लोमा की अवधि 03 वर्षीय होगी।
4	उपनिबन्धक	विधि स्नातक
5	सहायक निदेशक, उद्योग(हथकरघा)	किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि।

**नोट- (1)** अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिये जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जायेगा।

**(2)** भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312 एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :- ".....  
.....**3-**उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

**(1)**-ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

**(2)**-उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

**(1)** केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ। स्नातक के रूप में मान्य होगी।

**(2)** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे।

**(3)** किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से ए जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**(4)** उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

**नोट- पदों की संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।**

**नोट- आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।**

**10. शारीरिक मापदण्ड :-** शारीरिक मापदण्ड वाले पदों जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमान्डेंट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक तथा उपकारापाल आदि उपलब्ध होने की दशा में सम्बन्धित सेवा नियमावली/अधियाचन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदण्ड लागू रहेगा जो कि निम्नवत् है :-

**पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (सेमी में)	सीना (सेमी में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	165	84	89
(दो) अनुसूचित जनजातियों	160	79	84
(तीन) केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु- अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	152	लागू नहीं।	
(चार) अनुसूचित जनजातियां	147	लागू नहीं।	
(पांच) सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन	40 किग्रा	लागू नहीं।	

**जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	165	84	89
(दो) महिला अभ्यर्थी	150	79	84
(तीन) पुरुष अभ्यर्थी कुमायूँ और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160	84	89

**अधीक्षक कारागार पद हेतु**

**(एक) ऊँचाई- 168 सेमी और कुमायूँ और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेमी से कम नहीं।**

**(दो) सीने का घेरा 81.3 सेमी (बिना फुलाए) और 86.3 सेमी (फुलाने पर) (तीन) दृष्टि 6/6**

**आबकारी निरीक्षक पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	167	81.2	86.2
(दो) महिला अभ्यर्थी (अनु. जाति/अनु.जन जाति)	147		
(तीन) अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु	152		

**उपकारापाल पद हेतु**

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीने की माप (बिना फुलाए)	सीने का फुलाव न्यूनतम (से.मी.)
1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	168 से.मी.	81.3 से.मी.	05 से.मी.
2- महिला अभ्यर्थियों के लिए	152 से.मी.	वजन 45 से 58 कि.ग्रा.	

## अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में उंचाई की माप निम्नवत है:-

**पुरुष-160 से.मी.**

**महिला-147 से.मी.**

**नोट:- अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व भलीभाँति यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक योग्यतायें रखते हैं।**

**11. आयु सीमा:- (1.)** अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1984 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क)** उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उप्र. राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेंतर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

**(ग)** उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी।

## 12. सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:-

**(1)** प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0 200/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 225/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 105/- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रू0 80/- एवं ऑन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रू0 25/- योग रू0 105/- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला, कुशल/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।

**(2)** सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट/जमा करना होगा।

**(3)** अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

**(4)** मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

**(5)** केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे।

**(6)** अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा।

**(7)** विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं साक्षात्कार के समय माँगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा एवं इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

**(8)** मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

**(9)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**(10)** साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

**नोट:- सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा-2024 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

## 13. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-

**(1)** उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के अधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है।

**(2)** यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

**(3)** हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

**(4)** मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

**(5)** समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा।

**(6)** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

**(7)** परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

**(8)** जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**(9)** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त

किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

**(10)** आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

**(11)** कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**(12)** आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

**(13)** नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

**(14)** प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिकितियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य (लिखित) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।

**(15)** याचिका सं0 (सी0) 165/2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

**(16)** ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

**(17)** अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

**(18) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भर जाने की स्थितिमें आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त केलिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।**

**(19)** OMR Answer Sheet दो प्रतियों में एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे।

**(20)** प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:- 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

**(21)** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

**(22)** अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करनेकी अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

**(23)** प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

**(24)** आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

**(25) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।**

## सामान्य अनुदेश

**1-** अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।

**2-** सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**3-** आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमत्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

**4-** आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

**5-** स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

**6-** किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश



<p>करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।</p> <p><b>7-</b> यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p><b>8-</b> प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-1 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना परिशिष्ट-3 पर, प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट-4 तथा परिशिष्ट-5 तथा पद सम्बन्धी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।</p>	<p>तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान ..... हस्ताक्षर.....</p> <p>दिनांक ..... पूरा नाम.....</p> <p>मुहर ..... पद नाम.....</p> <p>जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।</p>
<p><b>Detailed Application Form:</b></p> <p>At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of '<b>I Agree</b>' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.</p> <p><b>Notification Details</b></p> <p>This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.</p> <p><b>Personnel Details from OTR</b></p> <p>This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo &amp; signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.</p> <p><b>Education &amp; Experience Details</b></p> <p>It shows your educational and experience details</p> <p><b>Declaration segment</b></p> <p>At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.</p> <p>After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.</p> <p>Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.</p> <p><b>[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]</b></p> <p>For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <a href="https://uppsc.up.nic.in">https://uppsc.up.nic.in</a></p>	<p align="center"><b>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र</b></p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री.... ..... निवासी ग्राम..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।</p> <p>यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान ..... हस्ताक्षर .....</p> <p>दिनांक ..... पूरा नाम .....</p> <p>मुहर ..... पद कानाम .....</p> <p>जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।</p>
<p><b>IMPORTANT ANNOUNCEMENT</b></p> <p><b>:- NOTIFICATIONS /ADVERTISEMENTS</b></p> <p>•All Notification/Advertisements</p> <p><b>:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION</b></p> <p>• Candidate Registration</p> <p>• Fee Deposition /Reconciliation</p> <p>• Submit Application Form</p> <p>• Modify Submitted Application</p> <p>• Candidate Dashboard (OTR Based)</p> <p><b>:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION</b></p> <p>• Double Verification mode</p> <p>• View Application Status</p> <p>• Download Admit Card</p> <p>• Print Duplicate Registration Slip</p> <p>• Print Detailed Application Form</p> <p>• List of Applications Having ANY Objections</p> <p>• View Answer Key</p>	<p align="center"><b>(प्रपत्र-1)</b></p> <p align="center"><b>उत्तर प्रदेश सरकार</b></p> <p><b>कार्यालय का नाम.....</b></p> <p><b>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र</b></p> <p>प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....</p> <p><b>वित्तीय वर्ष .....के लिए मान्य</b></p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .. ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।</li> <li>II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।</li> <li>III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।</li> <li>IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।</li> </ol> <p>2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।</p> <p>हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)</p> <p>पूरा नाम .....</p> <p>पदनाम .....</p> <p>जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।</p>
<p><b>LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:</b> On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.</p>	<p align="center"><b>(प्रपत्र-11)</b></p> <p align="center"><b>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र</b></p> <p align="center"><b>स्वयं घोषणा पत्र</b></p> <p>मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना .... ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।</li> <li>2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।</li> <li>3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है। अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।</li> <li>4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।</li> <li>II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।</li> <li>III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।</li> <li>IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।</li> </ol> <p>मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया</p>
<p align="center"><b>परिशिष्ट - 1</b></p> <p><b>जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत् हैं:-</b></p> <p>(1) आगरा, (2) अलीगढ़, (3) अम्बेडकर नगर (4) अयोध्या, (5) आजमगढ़, (6) बाँदा, (7) बलिया, (8) बदायूँ, (9) बरेली, (10) बस्ती, (11) बिजनौर, (12) बुलंदशहर, (13) चन्दौली, (14) देवरिया, (15) फतेहपुर, (16) फिरोजाबाद, (17) गाजीपुर, (18) गाजियाबाद, (19) गोरखपुर, (20) ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), (21) गोण्डा, (22) हापुड़, (23) हरदोई, (24) इटावा, (25) जौनपुर, (26) झांसी, (27) ज्योतिबाफूले नगर, (28) कानपुर नगर, (29) कौशाम्बी, (30) कुशीनगर, (31) लखीमपुर, (32) ललितपुर, (33) लखनऊ, (34) महाराजगंज, (35) मैनपुरी, (36) मथुरा, (37) मऊ, (38) मेरठ, (39) मिर्जापुर, (40) मुरादाबाद, (41) मुजफ्फरनगर, (42) प्रयागराज, (43) पीलीभीत, (44) रायबरेली, (45) रामपुर, (46) सहारनपुर, (47) शाहजहाँपुर, (48) सीतापुर, (49) सुल्तानपुर, (50) वाराणसी, (51) उन्नाव,</p>	
<p align="center"><b>परिशिष्ट - 2</b></p> <p><b>उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)</b></p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .....ग्राम.....</p>	

गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।  
**नोट:-** जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
**स्थान :-** आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।  
**दिनांक:-**

**उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण-पत्र  
(दिव्यांगजन प्रारूप)**

**Form-II**

**Certificate of Disability**

**(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)**

**(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.**

**Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri.....Date of Birth (DD/MM/YY).....Age .....years, male/female..... registration No. .... permanent resident of House No. .... Ward/Village/Street .....Post office..... District.....State.....

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

**(A)** he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

**(B)** The diagnosis in his/her case is.....

**(A)** he/she has .....% (in figure)..... percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her..... (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.  
 (Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)  
 Member Member Chairperson  
 Medical Board Medical Board Medical Board  
 with seal with seal with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-III**

**Certificate of Disability**

**(In cases of multiple disabilities)**

**(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.**

**Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum ..... son/wife/ daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY).....age..... years, male/ female.....Registration No..... permanent resident of House No..... Ward/Village/Street..... Post Office..... District..... State.....

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

**(A)** he/she is a case of

Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

**(B)** In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures.....percent. In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

**3. Reassessment of disability is:-**

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till ..... (DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs

# - e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

**Name and Seal of Member**

**Name and Seal of Member**

**Name and Seal of the Chairperson**

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-IV**

**Certificate of Disability**

**(In cases of other than those mentioned in Forms II and III )**

**(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.**

**Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY).....age..... years, male/ female.....Registration No..... permanent resident of House No..... Ward/Village/ Street..... Post Office..... District..... State.....

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-

(i) not necessary.

or

(ii) is recommended/after .....years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) .....

@ e.g. Left/right/both arms/legs

# e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपराकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .....के आश्रित हैं।

स्थान..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक..... पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी.....  
सील.....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) .....ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
पद .....  
संस्था का नाम .....  
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट-3

परीक्षा की योजना

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं। यथा:- (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की),

(2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा)

(3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)

प्रारम्भिक परीक्षा

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी। जिनके उत्तर पत्रक ओ. एम. आर. सीट के रूप में होंगे। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट-4 में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों के तथा दो-दो घण्टे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक।

नोट: (1) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। (3) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

2. सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय: मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट-5 में उल्लिखित हैं।

(अ) अनिवार्य विषय		
1. सामान्य हिन्दी	परम्परागत	150 अंक
2. निबन्ध	परम्परागत	150 अंक
3. सामान्य अध्ययन - I	परम्परागत	200 अंक
4. सामान्य अध्ययन - II	परम्परागत	200 अंक
5. सामान्य अध्ययन - III	परम्परागत	200 अंक
6. सामान्य अध्ययन - IV	परम्परागत	200 अंक
7. सामान्य अध्ययन - V	परम्परागत	200 अंक
8. सामान्य अध्ययन - VI	परम्परागत	200 अंक

सभी प्रश्न पत्र परम्परागत (Conventional) प्रकार के होंगे। इन प्रश्न-पत्रों के हल करने की अवधि 3 घन्टे होगी। सामान्य अध्ययन का प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा।

**नोट:** (1) 3 घन्टे वाले प्रश्नपत्र का परीक्षा समय पूर्वान्ह 9.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

### (ब) व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार (कूल अंक 100)

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरुचि के विषयों से सम्बन्धित होगी।

### परिशिष्ट-4

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

### प्रश्नपत्र-1

(सामान्य अध्ययन- I)

अवधि-दो घन्टे  
अंक - 200

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें
- भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- भारत एवं विश्व का भूगोल- भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल
- भारतीय राजनीति एवं शासन- संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्दे (राइट्स इश्यूज) आदि
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास-सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है
- सामान्य विज्ञान
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें: राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी।
- भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन: इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
- भारत एवं विश्व का भूगोल: भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल: विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
- भारतीय राजनीति एवं शासन-संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि: भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास- सतत विकास, गरीबी अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि: अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन: इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
- सामान्य विज्ञान: सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है।

नोट: अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्यपरिचय हो।

### प्रश्नपत्र-2

(सामान्य अध्ययन- II)

अवधि-दो घन्टे  
अंक - 200

- काम्प्रिहेन्सन (विस्तारीकरण)
- अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा।
- तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता।
- निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान।
- सामान्य बौद्धिक योग्यता।
- प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक- अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी।
- सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक।
- सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक।

प्रारम्भिक गणित (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

### 1. अंकगणित:

(1) संख्या पद्धति: प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय-अपरिमेय एवं वास्तविक संख्यायें, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्यायें। पूर्णांक संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य तथा उनमें सम्बन्ध।

(2) औसत

(3) अनुपात एवं समानुपात

(4) प्रतिशत

(5) लाभ-हानि

(6) ब्याज- साधारण एवं चक्रवृद्धि

(7) काम तथा समय

(8) चाल, समय तथा दूरी

### 2. बीजगणित :

(1) बहुपद के गुणनखण्ड, बहुपदों का लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य एवं उनमें सम्बन्ध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीक रण, द्विघात समीकरण

(2) समुच्चय सिद्धान्त: समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियायें (संघ, प्रतिच्छेद, अन्तर, सममिति अन्तर), बेन-आरेख

### 3. रेखागणित:

(1) त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण सम्बन्धी प्रमेय तथा परिमाण एवं उनके क्षेत्रफल,

(2) गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा धन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल।

4. सांख्यिकी: आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्बारता, आंकड़ों का निरूपण, दण्डचार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज, संचयी बारम्बारता वक्र, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप- समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक।

### General English Upto Class X Level

1. Comprehension
2. Active Voice and Passive Voice
3. Parts of Speech
4. Transformation of Sentences
5. Direct and Indirect Speech
6. Punctuation and Spellings
7. Words meanings
8. Vocabulary & Usage
9. Idioms and Phrases
10. Fill in the Blanks

### सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

- (1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह
- (2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ
- (3) शब्द-रूप
- (4) संधि, समास
- (5) क्रियायें
- (6) अनेकार्थी शब्द
- (7) विलोम शब्द
- (8) पर्यायवाची शब्द
- (9) मुहावरे एवं लोकोक्तियां
- (10) तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)
- (11) वर्तनी
- (12) अर्थबोध
- (13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ
- (14) उ0प्र0 की मुख्य बोलियाँ

### परिशिष्ट-5

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम

1. आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
2. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें अन्यथा दण्डस्वरूप उनके अंकों में कटौती की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम न लिखें अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिये अनर्ह घोषित किया जा सकता है। 3. यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट/अपठनीय है तो उसके प्राप्तकों के कूल योग में से कटौती की जा सकती है। 4. अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिन्दी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं परन्तु उन्हें भाषा के प्रश्न-पत्र का उत्तर जब तक की प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। 5. प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगे। 6. सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा।

### सामान्य हिन्दी

- (1) दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण। (3) सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। (4) शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एकशब्द, (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, (5) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

### निबन्ध

निबन्ध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं।

निबन्ध के प्रश्न-पत्र में 3 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक-एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक खण्ड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क)	खण्ड (ख)	खण्ड (ग)
1. साहित्य और संस्कृति	1. विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी	1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
2. सामाजिक क्षेत्र	2. आर्थिक क्षेत्र	2. प्राकृतिक आपदाएं भू-स्खलन भूकम्प, बाढ़, सूखा, आदि।
3. राजनैतिक क्षेत्र	3. कृषि उद्योग एवं व्यापार	3. राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं

### सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 01 से 06 तक के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

### सामान्य अध्ययन-

1. भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला-रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।
2. आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई0 से 1947 ई0 तक)- महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि।

3. स्वतंत्रता संग्राम— इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति /उनका योगदान।
4. स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई0 तक)।
5. विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रान्ति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे।
6. भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं।
7. महिला— समाज और महिला—संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान।
8. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।
9. सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
10. विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण— जल,मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।
11. भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं— भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएँ, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं।
12. भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता।
13. मानव प्रवास— विश्व की शरणार्थी समस्या— भारत— उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
14. सीमान्त तथा सीमाएं— भारत उप— महाद्वीप के संदर्भ में।
15. जनसंख्या एवं अधिवास— प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण,स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

### सामान्य अध्ययन— I।

1. भारतीय संविधान— ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
2. संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
3. केन्द्र—राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका।
4. शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग।
5. भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना।
6. संसद और राज्य विधायिका— संरचना, कार्य, कार्य—संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय।
7. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य— सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक /अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका (पी0आई0एल0)।
8. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
9. विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व।
10. सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध—न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत— उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग।
11. सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0)।
12. विकास प्रक्रियाएं—गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायताार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।
13. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य— निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
14. स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र /सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।
15. गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ।
16. शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई—गवर्नेंस—अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।
17. लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
18. भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।
19. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और /अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
20. भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
21. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच— उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्य भाग।
22. क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

### सामान्य अध्ययन— I।।

1. भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति (एन0आई0टी0आई0) आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0)।
2. गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास।
3. सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
4. प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई—तकनीकी।
5. अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली—उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि में तकनीकी अभियान।
6. भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग—कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
7. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
8. भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
9. आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।
10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग।
11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, द्विअनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ।
12. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दे।
13. पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आंकलन।
14. आपदा: गैर—पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा शमन एवं प्रबंधन।
15. अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ : आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तन्त्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लाउन्डरिंग तथा मानव तस्करी।
16. भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियां: आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध।
17. सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन।
18. कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।

### सामान्य अध्ययन— IV

1. **नीतिशास्त्र तथा मानवीय अन्तः** सम्बन्ध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम : नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। मानवीय मूल्य—महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
2. अभिवृत्ति: अर्तवस्तु (कंटेन्ट), संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना।
3. सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर— तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा।
4. संवेगात्मक बुद्धि: अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग।
5. भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान।
6. **लोक प्रशासनों में लोक /सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र** : स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतर्रात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथानिधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।
7. **शासन व्यवस्था में ईमानदारी:** लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान—प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक—निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
8. उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

### सामान्य अध्ययन— V

1. उ0प्र0 का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर।
  2. उ0प्र0 की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रख—रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व।
  3. भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उ0प्र0 का योगदान।
  4. उ0प्र0 के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व।
  5. उ0प्र0 में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे: सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य / बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन।
  6. उ0प्र0 की राजव्यवस्था—शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केन्द्र—राज्य सम्बन्ध।
  7. उ0प्र0 में लोक सेवाएँ, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र।
  8. उ0प्र0—विशेष राज्य चयन मानदण्ड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग।
  9. उ0प्र0 में स्थानीय स्वशासन: शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे।
  10. उ0प्र0—सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई—गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना।
  11. उ0प्र0 में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव।
  12. उ0प्र0 में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:—
- (i) उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध।
- (ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राज्यीय सक्रियकों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटवर्क, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका।
- (iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेधन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम।
- (iv) विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके शासनादेश / अधिकार—पत्र।
- (v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध।
13. उ0प्र0 में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा।
  14. उ0प्र0 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे।
  15. उ0प्र0 में शिक्षा प्रणाली।
  16. भारत के विकास में उ0प्र0 की भूमिका।
  17. उ0प्र0 की समसामयिक घटनाएं।
  18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयन।
  19. उ0प्र0 में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.): मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव।
  20. उ0प्र0 में पर्यटन: मुद्दे एवं सम्भावनाएँ।
  21. उ0प्र0 में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार: इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक—आर्थिक विकास पर प्रभाव।

### सामान्य अध्ययन — VI

1. उ0प्र0 का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढाँचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्त्व।
2. उ0प्र0 का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग।
3. उ0प्र0 सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास।
4. उ0प्र0 में निवेश: मुद्दे एवं प्रभाव।
5. उ0प्र0 की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति।
6. उ0प्र0 में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर—नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन।
7. उ0प्र0 की जनानिकी, जनसंख्या एवं जनगणना।
8. उ0प्र0 में कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन।
9. उ0प्र0 की नवीन वानिकी नीति।
10. उ0प्र0 की कृषि एवं सामाजिक वानिकी।
11. उ0प्र0 में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान।
12. उ0प्र0 के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक।
13. उ0प्र0 का भूगोल— भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति।
14. उ0प्र0 में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य।
15. उ0प्र0 में परिवहन तंत्र।
16. उ0प्र0 में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना।
17. उ0प्र0 में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य।
18. उ0प्र0 के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास—मैदान, आद्रभूमि।
19. उ0प्र0 के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे।
20. उ0प्र0 के सन्दर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र—संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव—जन्तु एवं वनस्पतियाँ।
21. उ0प्र0 में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न।
22. उ0प्र0 में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उ0प्र0 के विकास में इनका प्रभाव।
23. उ0प्र0 के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना।



## परिशिष्ट-6

### पदों की संगत सेवानियमावलियों का विवरण

- उ० प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982) (यथा संशोधित)
- उ० प्र० वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2003 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1998 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० उद्योग (हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय) सेवा नियमावली, 1993, (यथा संशोधित)
- उ० प्र० उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० खाद्य तथा रसद (बाट तथा माप) सेवा नियमावली, 1981 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० हरिजन एवं समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० खाद्य तथा रसद (विपणन शाखा) सेवा नियमावली, 1981 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2001 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० उद्योग सेवा नियमावली, 2014
- उ० प्र० सहकारी सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित)
- उ० प्र० राज्य सम्पत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी सेवा नियमावली, 2020
- उ० प्र० जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 1966 (यथा संशोधित)



## Combined State / Upper Subordinate Services (PCS) Examination, 2024

Date of Commencement of On-line Application: 01/01/2024

Last Date for Receipt of Examination Fee On-line in the Bank: 29/01/2024

Last Date for Submission of On-line Application: 02/02/2024

Last Date for Correction/Modification in submitted On-line Application: 09.02.2024

### IMPORTANT

- (1) (i) It is mandatory for the candidates to make One Time Registration (O.T.R.) and obtain O.T.R. Number before applying online.
- (ii) Without O.T.R. Number the submission of Online application will not be possible.
- (iii) Those Candidates who have not obtained O.T.R. Number, must obtain it from commission's website <https://otr.pariksha.nic.in> 72 hours before the submission of Online application.
- (iv) Only after obtaining O.T.R. Number a candidate may submit online application through commission's website <https://uppsc.up.nic.in>.

- (2) Incomplete Online Application-Form shall be rejected and no communication in this regard shall be entertained.
- (3) If at any stage, it comes to the knowledge of the commission that the candidate has concealed or misrepresented any information, his candidature shall be rejected and proceeding to debar him from future examinations and selections shall be initiated.
- (4) At the time of online application the candidates are directed to ensure the preservation of information regarding all the stages (i.e. O.T.R., Fee payment, Final submission, Qualification related modification/Error correction etc.) in Soft/Hard copy for future references.
- (5) It is clarified to the candidates that at the stage of Preliminary examination, the hard copy of the documents and On-line application should not be sent to the Commission.
- (6) The candidates must send hard copy of their on-line applications and enclose self attested copies of all certificates in support of their claims rendered in the online application when asked for. In this connection, a separate press communique shall be published in due course by the commission.

### SPECIAL NOTICE :-

- (a) The candidates will be entirely responsible for on-line submission of application. The application of the candidate will be accepted only after the payment of the fee in the bank till the last date.
- (b) All future information/ instructions will be sent to the registered mobile number and email ID as registered in O.T.R. by SMS or by email for updates. Candidates are also directed to visit the website of the commission for updates.

### IMPORTANT INFORMATION FOR CANDIDATES APPLYING ONLINE

This advertisement is also available on the website of the commission <https://uppsc.up.nic.in>. 'O.T.R. BASED APPLICATION' system is applicable for applying against this advertisement. Application sent through any other medium will not be accepted. Therefore candidates have to apply online only.

The candidates applying online are expected to go through the following instructions thoroughly and apply accordingly:- 1. When the candidate clicks on the "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" in the Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>, the 'ONLINE ADVERTISEMENTS' will automatically be displayed, which has following 3 parts :-

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

The Instructions for filling Online form have been given in User Instructions. The candidates desirous to see the respective advertisement will have to click on "View Advertisement". Thereafter, a full advertisement will be displayed alongwith Sample Snapshots of Online Application procedure.

'Online Application' will be completed in four Stages:-

**First Stage:-** On clicking 'Apply', 'Authenticate with O.T.R.' will be displayed with respect to the examination and on clicking 'Authenticate with O.T.R.', 'Have You Completed Your O.T.R. Registration' will be displayed, in which the candidate will have to tick 'Yes' or 'No'. If the candidate:-

(i) Ticks on 'Yes' and clicks on 'Go' button, 'Enter your O.T.R. Number' will be displayed wherein he/she has to fill O.T.R. Number and click on 'Proceed' button. On clicking 'Proceed' button, 'Click here to Authenticate' will be displayed, clicking whereupon the candidate may authenticate through O.T.P. received on his/her registered mobile no./email ID or O.T.R. password. Having completed the process of Authentication, all personal details of the candidate (as filled in O.T.R.) will be displayed automatically. The candidate will have to fill only essential qualification as required for the post.

(ii) Ticks on 'No' and clicks on 'Go' button:- (a) First of all, the candidate has to obtain One Time Registration Number from O.T.R. Web-portal (<https://otr.pariksha.nic.in>) of the Commission. (b) After obtaining O.T.R. number the candidate will have to apply online according to the process adopted in First Stage.

**Second Stage:-** The First Stage procedure having been completed the 'Applicant Dashboard' will automatically be displayed on the screen. The candidate will have to click on 'Submit Details' under 'Application Part-2' against applied post, thereafter the permanent and correspondence address along with application form will automatically be displayed on the screen from O.T.R. along with the preferential qualifications prescribed for the post. The candidate will have to choose Yes/No option against each preferential qualification according to his/her eligibility for the same.

**Third Stage:-** After the completion of the procedure of second stage, 'Fee Confirmation Window' will automatically be displayed on the screen under which upon clicking on 'Yes' option in front of 'Proceed for fee payment' Home page of 'SBI MOPS' will be displayed comprising of 03 modes of payment:- (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS and (iii) OTHER PAYMENT MODES.

After payment of the required fee by any one of the above prescribed modes, 'Payment Transaction Slip' shall be displayed alongwith detail of fee payment, the print of which

must be taken by clicking on 'Printer Icon'. In the event of 'Payment Failed' the candidate has to go to 'Candidate Dashboard Login' and after filling the O.T.R. number proceed to authenticate through O.T.P. or O.T.R. password and click 'Pending Payment' to pay the fee, compulsorily for online application.

**Fourth Stage:-** After completing the procedure of the Third Stage the application form of the candidate will automatically be displayed on screen the print of which may be obtained by the candidature. If candidate does not complete the process of online application, his/her candidature will not be accepted for which he will entirely be responsible. The candidate will have to take the print of online application and keep it safe with himself/herself to produce it in the office of the commission when required in case of any discrepancy, else his/her request/claim will not be accepted. After applying, in case of any modification in the qualification of applied post, the candidate may click on 'Candidate Dashboard Login' of 'Home Page' to modify it only once till last date and time fixed for it.

**2. Application Fee :** After completing the process of First and Second Stage in the online application process, deposit the fee category wise as per the instructions given in the Third stage. The prescribed fee of preliminary Examination for different categories is as under:-

- (i) Unreserved/  
Economically  
Weaker Sections/  
other Backward  
Classes - Exam fee Rs. 100/- + On-line  
processing fee Rs. 25/-  
Total = Rs. 125/-
- (ii) Scheduled Castes/  
Scheduled Tribes - Exam fee Rs. 40/- + On-line  
processing fee Rs. 25/-  
Total = Rs. 65/-
- (iii) Persons with  
disabilities  
(PWDs) - Exam fee NIL/- + On-line  
processing fee Rs. 25/-  
Total = Rs. 25/-
- (iv) Ex-Servicemen - Exam fee Rs. 40/- + On-line  
processing fee Rs. 25/-  
Total = Rs. 65/-
- (v) Dependents of the  
Freedom Fighters/  
Women/Skilled Player - According to their original  
category

3. If the claim made by the candidate in the application is not found to be true, action can be taken to debar the candidate from all the selections/examinations of the Commission and other punitive actions may be taken.

**Note:- It is mandatory to make payment in the 'ONLINE APPLICATION' Process by the candidate till the last date and time fixed for it. Candidates should take a print out of the same and keep it safe.**

4. The U.P. Public Service Commission shall hold a Preliminary Examination at various Centres of the Districts mentioned in Appendix-1 of this advertisement for selecting suitable candidates for admission to the Combined State/Upper Subordinate Services Main (Written) Examination 2024. The Main (Written) Examinations shall be conducted separately by the commission. The selection will be made on the basis of total marks obtained by the candidates in Main (Written) Examination and Interview. On some of these posts, recruitment shall be made on the basis of total marks obtained in the written examination, according to the provision of concerned service rules of such posts. The Date and Centre of Examination, decided by the Commission, will be intimated to the candidates by means of their e-Admission Certificate. The no. of Districts/centers may be increased / decreased according to the decision of the Commission on the basis of final number of online applications received.

**5. No. of Vacancies:-** Presently the number of vacancies for the Combined State /Upper Subordinate Services (PCS) Examination 2024 is about 220. Number of vacancies may increase or decrease depending upon the circumstances/ requirements.

The details of the posts to be included in Combined State / Upper Subordinate Services Examination carrying the pay scale as per 6th pay commission of Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs 4600/- (except Naib Tehsildar whose grade pay is Rs. 4200/-) to Rs. 15600-39100/- Grade Pay Rs. 5400/- are as follows:-

Deputy Collector, Deputy Superintendent of Police, Block Development Officer, Assistant Regional Transport Officer, Assistant Commissioner (Commercial Tax), District Commandant Homeguards, Treasury Officer/Accounts Officer (Treasury), Cane Inspector and Assistant Sugar Commissioner, District Cane Officer U.P. Agriculture Service Group "B" (Development Branch), Superintendent Jail, Manager Credit (Small Industries), Manager Marketing and Economic Survey (Small Industries), Executive Officer Grade-I/Assistant Nagar Ayukta, District Basic Education Officer/Associate DIOS & other equivalent Administrative Posts, Assistant Director Industries (Marketing), Assistant Labour Commissioner, Senior Lecturer DIET, Assistant Commissioner Industries, Statistical Officer, Assistant Accounts Officer, (Treasury), Commercial Tax Officer, District Minority Welfare Officer, District Food Marketing Officer, Executive Officer (Panchayati Raj), Deputy Secretary (Housing and Urban Planning), Area Rationing Officer, District Backward Welfare Officer, Naib Tehsildar, District Saving Officer, District Panchayat Raj Officer, District Social Welfare Officer, Accounts Officer (Nagar Vikas), District Supply Officer Grade-2, Additional District Development Officer (Social Welfare), Passenger/Goods Tax Officer, District Handicapped Welfare Officer, Assistant District Employment Assistance Officer, Accounts Officer (Local Bodies), Regional Employment Officer, Assistant Registrar (Cooperative), Sub Registrar, Assistant Prosecuting Officer (Transport), District Probation Officer, District Administrative Officer, District Audit (Revenue Audit), Assistant Controller Legal Measurement (Grade-1 and Grade-2), District Programme Officer, District Youth Welfare and Pradeshik Vikas Dal Officer, Labour Enforcement Officer, Excise Inspector, Child Development Project Officer, Food safety Officer, Deputy Jailor, Technical Assistant (Geophysics), Technical Assistant

(Geology), Management Officer/Manager, Information Officer/District Information officer, Manager, Chemist, Officer on Special Duty (Computer) and Law Officer.  
Out of aforesaid posts the requisitions of those posts which have been received till date are included for this examination. If any requisitions of the rest of the remaining posts of graduate qualification is/are received before the result of preliminary examination may also be included for this examination.

**6. Reservation:** The reservation for Scheduled Castes of U.P. / Scheduled Tribes of U.P./Economically Weaker Section candidates of U.P./Other Backward Class candidates of U.P. shall be admissible in accordance with the provisions of relevant Govt. Rules. Similarly, reservation for horizontal categories as Dependents of Freedom Fighters of U.P. Female candidates, Ex-Servicemen of U.P., Outstanding sports persons of U.P. and P.H. of U.P. shall be admissible on settlement of vacancies as per rules. Reservation for P.H. of U.P. shall be permissible for the notified / identified Posts.

**Note: (1)** उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक- 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है:- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति किया जा सकता है। बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

**(2)** शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019, दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006, दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमत्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमत्य है', को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक- 16.01.2019 को अधिकारतीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक- 09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

**(3)** Candidates of any reserved category, if they want the benefit of reservation, must mention their category/ subcategory (one or more than one, whichever) in the column related to O.T.R. because all the personal information will be automatically displayed in the application form from the O.T.R.

**(4)** The Candidates claiming for the benefit of reservation/age relaxation must obtain, in support of their category a certificate issued by competent authority on the proforma available in **Appendix-2** of this detailed advertisement and shall submit the same to the Commission when asked for.

**(5)** All Reserved category candidates of U.P. must mention their Category/Sub Category in the Application.

**(6)** Candidates claiming reservation/Age relaxation in more than one category will be entitled to only one concession, whichever is more beneficial to them.

**(7)** The Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Class, Economically Weaker Sections (E.W.S.), Dependents of Freedom Fighters, P.H., Outstanding sports persons, Skilled players of classified games and Ex-Servicemen candidates who are not the permanent residents of U.P. shall not be given the benefit of reservation/age relaxation.

**(8)** In case of women candidate, the caste certificate issued from father side only will be treated valid.

**(9)** It is mandatory for the candidates to enclose self-attested copies of all the certificates along with the application forms of Main Examination in support of the claims made by them in their application forms of Preliminary Examination regarding eligibility and category/sub category, failing which their claim shall not be entertained.

**7. Conditions of Eligibility: In case of Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers (For age relaxation only) :-** In accordance with the provisions of the G.O. No. 22/10/1976-karmik-2-85, dated 30-1-1985 Emergency Commissioned / Short Service Commissioned Officers who have not been released from Army but whose period of Army service has been extended for rehabilitation, may also apply for this examination on the following conditions:

**(A)** Such applicants will have to obtain a certificate of the competent authority of Army, Navy, Air Force to the effect that their period of Service has been extended for rehabilitation and no disciplinary action is pending against them.

**(B)** Such applicants will have to submit in due course a written undertaking that in case they are selected for the post applied for, they will get themselves released immediately from the Army Service. The above facilities will not be admissible to Emergency/ Short Service Commissioned Officers, if:-

**(a)** he gets permanent Commission in the Army,  
**(b)** he has been released from the Army on tendering resignation,  
**(c)** He has been released from the Army on grounds of misconduct or physical disability or on his own request and who gets gratuity.

**8. MARITAL STATUS:-** Male candidates who are married and have more than one wife living and female candidates who have married a person already having a wife shall not be eligible unless the Hon'ble Governor has granted an exemption from this condition.

**9. EDUCATIONAL QUALIFICATION:-** The candidates must possess Bachelors Degree of any recognised University upto the last date for receipt of application. This must be mentioned by the candidate in the relevant column of their application form but for some posts specific qualifications have been prescribed details of the which are given below:-

**Posts of Specific qualifications through written examination and interview**

Sl. No.	Name of post	Qualifications
1	Statistical Officer, under U.P. Agriculture service grade- 2 section-C, (Statistics Branch)	Post Graduate Degree in Mathematics or Mathematical Statistics or Statistics or Agricultural Statistics from an university recognised by Law in India or equivalent qualification recognised by the Government. Note:- शासन के पत्र सं.-1645/12-1-23-605/22, दिनांक - 29 सितम्बर, 2023 द्वारा पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (जैसा कि ऊपर उल्लिखित है) की समकक्षता के सम्बन्ध में स्पष्ट अर्हता निम्नवत् उपलब्ध करायी गयी है:- "भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि"।
2	Assistant Controller Legal Measurement (Grade-II)	(1) (A) From a University established by law in India, or (B) From any institution other than a University recognized declared to be a University under any law, or (C) Degree in science with physics or mechanical engineering as one of the subjects from a foreign university recognized by the Central Government ; and (2) Working knowledge of Hindi written in Devanagiri Script

3	Management Officer /Manager (Estate Department)	(i) A bachelor's degree from a university established by law in India; (ii) Diploma in Hotel Management and catering Technology from an Institution recognized by the Government. or A bachelor's degree in Hotel Management and catering Technology from a University established by law in India. Note:- अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत उल्लिखित "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा" में डिप्लोमा की अवधि 03 वर्षीय होगी।
4	Sub Registrar	Law Graduate
5	Asstt. Director of Industries (Handloom)	Post Graduate Degree in Arts, Science or Commerce or Technology from a recognised Institution or University or atleast Bachelor Degree in Textile.

**Note: (1)** In case of Specific Educational qualification posts, the candidates must give their options clearly, in that condition only they shall be considered for the posts bearing specific educational qualifications.

**(2)** भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312 एलसी/2022, दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :- ".....3-उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

**(1)** ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

**(2)** उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

**(1)** केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ। स्नातक के रूप में मान्य होगी।

**(2)** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों / संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे।

**(3)** किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार / विनियामक निकायों से ए जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**(4)** उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ०प्र० राज्य में लोक सेवा आयोग / अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

**Note:- Relevant Service Rules of Related Posts are given in Appendix-6**

**Note:- The candidates must possess all the requisite qualifications upto the last date for submitting the applications.**

**10. Physical Measurement:-** Physical Measurements will be applicable according to Service Rules/requisitions, in case of availability of posts e.g. Dy. Superintendent of Police, Superintendent of Jail, District Commandant Home Guards, Excise Inspector and Deputy Jailor which is mentioned as below:-

**For the post of D.S.P.**

Category of Candidates	Height (Cm.)	Chest (Cm.)	
		Unexpanded	Expanded
(i) For Male candidates only General, Other Backward Classes of Citizens and Scheduled Castes.	165	84	89
(ii) For Scheduled Tribes	160	79	84
(iii) For Female candidates only General, Other Backward Classes of Citizens and Scheduled Castes.	152	Not applicable.	
(iv) For Scheduled Tribes	147	Not applicable.	
(v) Minimum weight for female candidates of all categories	40 Kg.	Not applicable.	

**For the post of District Commandant Home Guards**

Category of Candidates	Height (Cm.)	Chest (Cm.)	
		Unexpanded	Expanded
(i) Male Candidates	165	84	89
(ii) Female Candidates	150	79	84
(iii) For the Candidates of Scheduled Tribes and Candidates of Kumayun and Gadhwal Division.	160	84	89

**For the post of Superintendent of Jail**

(i) Height 168 cm and in the condition of candidates of kumayun and Gadhwal Divisions not less than 163 cm.  
(ii) Chest 81.3 cm. (unexpanded) and 86.3 cm. (expanded)  
(iii) Vision - 6/6

**For the post of Excise Inspector**

Category of Candidates	Height (Cm.)	Chest (Cm.)	
		Unexpanded	Expanded
(i) Male Candidates	167	81.2	86.2
(ii) Female Candidates (SC./ST.)	147		
(iii) For other Female Candidates	152		

**For the post of Deputy Jailor**

Category of Candidates	Height (C.M.)	Expansion of chest (Minimum) (C.M.)	Chest Measurement (unexpanded) (C.M.)
For Male Candidates	168	81.3	05
For Female Candidates	152	Weight 45 to 58 k.g.	

In the case of a Candidate belonging to Scheduled Tribes the measurement of height shall be as under:-

Male - 160 cms.  
Female - 147 cms.

**Note:-** Candidates before applying for the above mentioned posts should ensure himself/herself that he/sh possesses the above physical standard.

**11. AGE LIMIT:** (i) Candidates must have attained the age of 21 years and must not have crossed the age of 40 years on July 01, 2024 i.e. they must have not been born earlier than 2nd July, 1984 and not later than July 01, 2003, For PH candidates, the maximum age limit is 55 years i.e. they must have not been born before 02 July, 1969.

(ii) **Relaxation in Upper Age Limit:** (a) Upper age limit shall be greater by five years for candidates belonging to Scheduled castes of U.P., Scheduled Tribes of U.P., Other Backward Classes of U.P., Skilled players of U.P. of Classified Games, State Govt. Employees of U.P. including Teachers/Staff of the Basic Shiksha Parishad of U.P. and teachers/staff of the Government Aided Madhyamik Vidyalayas of U.P. i.e they must have not been born before 2nd July, 1979.

(b) Upper age limit shall be greater by fifteen years for persons with disabilities (PH) of U.P. & (c) Upper age limit shall also be greater by three years + Period of service rendered in Army for the Emergency Commissioned Officers / Short Service Commissioned Officers / Ex-Army Personnels of U.P.

**12. SOME INFORMATION ABOUT COMBINED STATE / UPPER SUBORDINATE SERVICES MAIN (WRITTEN) EXAMINATION AND INTERVIEW:-**

(i) Only such candidates will be admitted to the Main (written) examination who are declared successful in Preliminary Examination for which the successful candidates will have to fill up another application form according to instructions of the Commission and for this application, the examination fee for Unreserved (General), Economically weaker sections, Other Backward Classes and for Candidates of Other States is Rs. 200/- and Rs. 25/- as online processing fee = Rs. 225/- and for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates of U.P. the fee is Rs. 80/- and Rs. 25/- as on-line processing fee = Rs. 105/-. The candidates of Physically Handicapped category of U.P. are exempted from fee but they have to pay Rs. 25/- only as on-line processing fee, Candidates of Ex-Army Personnels of U.P. Exam Fees is Rs. 80/- and Rs. 25/- as on-line processing fees = Rs. 105/- only but the candidates of D.F.F. of U.P./Women/Skilled/ Outstanding Sports Person candidates of U.P. shall have to deposit their fees according to their original category.

(ii) For the Combined state/upper Subordinate Services Main (written) Examination, the candidates are required to fill up and submit their Online Application and deposit required fee.

(iii) Candidates should carefully note that they will have to appear in the main examination against the same Roll No. allotted for the Preliminary Examination.

(iv) The dates and venue for the Main examination shall be informed by the Commission later on through e-Admit Cards.

(v) Only such candidates will be called for interview who are declared successful on the basis of the main (written) examination.

(vi) Candidates will have to fill up the prescribed application form before the Interview (viva-voce test).

(vii) Preferences for different posts will be asked at the time of Interview which will be treated final and no change therein will be admitted. In this regard no application for error correction / modification shall be acceptable.

(viii) All original certificates shall be verified at the time of Interview. Candidates will also be required to furnish four passport size Photographs, two unattested and two attested by their Head of Department or Head of the Institution where they have received education or by a Gazetted Officer at the time of Interview.

(ix) Candidates serving under the Central or State government will have to produce 'No Objection Certificate' from their employer at the time of interview issued by the competent authority.

(x) It is essential for the candidates to appear in the interview who qualify on the basis of Main Examination.

**NOTE:- The candidates must enclose self attested copies of all Marksheets/certificates in support of their claims rendered in the application form for main examination of the Combined State / Upper Subordinate Services Examination 2024. If they do not enclose and send their self attested copies of all Marksheets/ Certificates in support of their claims till last date of application, their candidature shall be cancelled.**

**13. IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES:-**

(1) As per decision of the UPPSC a candidate will be liable to be debarred from this examination and all other future examinations and selections upto a maximum period of five years for furnishing any wrong information in his/her application form which cannot be substantiated by relevant documents or for any other malpractice.

(2) If any change is to be made in the personal detail mentioned in the O.T.R. it will be mandatory to Synchronise it on the Dashboard after that change. Otherwise change will not be allowed. No representation will be accepted for error correction/ amendment in this regard. Incomplete application will be cursorily rejected and no correspondence will be entertained in this regard. Submission of false/misleading information will lead to cancellation of candidature.

(3) The date of birth of the candidates shall be admissible as entered in High School Certificate. The candidate will have to attach his/her High School or equivalent examination certificate with the application form of Main Examination. No other certificate shall be acceptable for Date of Birth and if it is not attached with the application, it shall be rejected.

(4) The candidates will have to enclose self attested copies of Marksheets, Certificates & Degrees along with the application form of Main examination in support of their claims of Educational Qualifications. If they do not enclose self attested copies of certificates/ documents in support of their claims, the applications shall be rejected.

(5) The benefit of reservation to the categories of Physically Handicapped persons of society shall be given only on the posts which are identified by the Government for their Sub category. For this benefit, the Handicapped persons must produce a certificate of being handicapped in that Sub category issued by Medical Officer/Specialist and counter signed by the Chief Medical Officer according to Rule 3 of U.P. Public Service (Reservation for physically Handicapped, Dependent of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2021.

(6) The Ex-Army Personnels must be discharged from Army upto the last date prescribed for receipt of applications.

(7) Date, time and venue etc. of examination along with Roll No. will be communicated to the candidates through e-Admit Cards. Candidates will have to appear only at the centre/venue allotted to them by the Commission. No change in centre/venue is permissible and no application shall be entertained in this regard.

(8) The candidature of such candidates who are subsequently found ineligible according to the terms laid down in advertisement will be cancelled and their any claim for the Main Examination will not be entertained. The decision of the Commission regarding eligibility of the candidates shall be final.

(9) The Application/candidature will be rejected/cancelled if the Application form is not submitted on prescribed form, date of birth is not mentioned or wrong date of birth is mentioned, candidate is overage, under age, dose not possess the minimum educational qualifications, applications received after last date and cases of no signature under declaration in the format.

(10) The Commission may admit the candidates provisionally after summarily checking their applications but if it is found at any stage that applicant was not eligible or his/her and application should have been rejected or was not entertainable initially, his/her candidature will be rejected and if the candidate is selected, the recommendation of the Commission for the appointment shall be withdrawn.

(11) The Commission reserves the right of cancelling the candidature of any candidate found indulging in any malpractice i.e. copying in examination hall or indiscipline, misbehavior or canvassing for his/her candidature. On violation of these instructions, the candidates may be debarred from this examination as well as future Examinations and selections. In this regard, decision of the commission shall be final.

(12) In all communication to the Commission, the candidate must mention the name of examination, advertisement No., O.T.R. Number, Application ID, Name of the candidate, date of birth, father's/Husband's name and also the Roll Number, if communicated.

(13) Candidates selected for appointment will have to undergo Medical Examination as required under the Rules.

(14) On the basis of the result of Preliminary Examination, fifteen times candidates to the number of vacancies shall be declared successful for the main examination and three times candidates to the number of vacancies shall be called for the interview.

(15) The decision/guidlines of the Hon'ble Supreme Court in the writ petition No. (C)165/2005, Sanjay Singh V/s U.P. Public Service Commission and others shall be complied with.

(16) The candidates who are appearing in the Examination of essential qualification prescribed for the posts need not apply, because they are not eligible.

(17) While filling the OMR answer sheets, the candidates must use Black Ball Point Pen Only. Use of any other Pen or Pencil is strictly prohibited.

(18) **At the time of examination, candidates must fill all the information sought on the OMR Answer Sheet correctly by blackening the concerned circles, which are decipherable by the scanner machine. The Commission will evaluate OMR Answer Sheet only on the basis of information given by blackening the concerned circles of OMR Answer Sheet. The candidates are also directed not to use whitener, blade, pin or rubber etc. on the OMR Answer Sheet. In case of not blackening the circles properly in the OMR Answer Sheet and filling any information incorrectly, the Commission shall not evaluate such OMR Answer Sheet for which candidates themselves shall be wholly responsible.**

(19) Candidates shall be provided OMR answer sheets in duplicates i.e. original copy and candidate's copy. After completion of the examination, the candidates are required to hand over the original copy to the Invigilator and the candidate's copy to keep with them.

(20) In the Preliminary Examination for the objective type Question papers, penalty (Negative Marking) shall be imposed for wrong answers given by the candidates which is as below:-

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answer happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

(21) The minimum efficiency standard for S.C. & S.T. candidates is fixed 35% i.e. the Candidates of these Categories shall not be placed in the merit/select list if they have secured less than 35% marks in the Preliminary/Main examination. Similarly, the minimum efficiency standard for the candidates of other categories is fixed 40% i.e. such candidates shall not be placed in the merit/select list if they have secured less than 40% marks in the Preliminary/Main examination. All such candidates who have secured less marks than the marks of minimum efficiency standard as fixed by the Commission shall be treated disqualified.

(22) The candidates shall be required to obtain such minimum marks in compulsory paper of General Hindi, as may be determined by the Govt. or the Commission, as the case may be.

(23) Paper-II of the Preliminary Examination will be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%. It is mandatory for the Candidates to appear in both the papers of Preliminary Examination for the purpose of evaluation. Therefore a candidate will be disqualified in case he does not appear in both papers. The merit of the Candidates will be determined on the basis of marks obtained in Paper-I of the Preliminary Examination.

(24) The candidates of reserved categories will be adjusted against the unreserved category in the final selection only if he/she will not availed any benefit/concession in qualifying standard at the stage of Preliminary/Main Examination.

**(25) If it is found that a candidate has submitted any forged documents he/she will be debarred from all selections of UPPSC forever and action under relevant sections of I.P.C. will also be taken against him/her.**

**GENERAL INSTRUCTIONS**

1. In no circumstances, applications of any stage shall be accepted after the last prescribed date and time. Applications found without requisite information and without photograph and signature, even when received in time, may be summarily rejected.

2. In the On-line system, the candidates must ensure that all the requisite information have been duly filled and must submit by the last prescribed Date & Time. Candidates must take the Print and keep it safely. In any discrepancy, the candidates will have to produce the said print to the commission's office otherwise no request shall be entertained.

3. Those candidates, willing to take the benefit of the reservation/age relaxation must obtain a certificate, issued by the competent authority, in support of the reserved category, in the prescribed format printed in this detailed advertisement (**Appendix-2**) and submit the same to the Commission, whenever required to do so. Candidate claiming more than one reservation/age relaxation will be given only one such concession, which will be more



beneficial. The Candidates who are not originally domicile of U.P. belonging to SC, ST, O.B.C., E.W.S., dependents of freedom fighters, Ex-Servicemen, Outstanding/Skilled sports person and P.H. are not entitled to the benefit of reservation/age relaxation. In case of the women candidates, the caste certificate issued from father side will be treated valid.

**4. The Commission do not advise to candidates about their eligibility. Therefore, they should carefully read the advertisement and when satisfied about their eligibility as per conditions of the advertisement, only then apply. The candidates must possess all the requisite qualifications till the last date for submitting the applications.**

**5.** In the category of dependents of the freedom fighters only sons, daughters, grandsons (Son's son/Daughter's son) and granddaughters (son's daughter / daughter's daughter, married/ unmarried) are covered. It is advised that the candidates of aforesaid category must obtain the reservation certificate from the District Magistrate in terms of Govt. Order No. 453/79-V-1-15-1(ka) 14-2015, dated 07.04.2015 in the prescribed format and submit the same.

**6.** In the event of involvement of a candidate in the concealment of any important information, pendency of any case / criminal case, conviction, more than one husband or wife being alive, submission of facts in a distorted manner, malpractice, canvassing for candidature/ selection etc, the Commission reserves the right to reject the candidature and debar him from appearing in the examination in question and in all other future examinations and selections.

**7.** In case the candidates feel any problem in the "On-line Application", they may get their problem resolved by sending their queries to the 'Mail Box' of the commission.

**8.** The names of Districts for Preliminary Examination are available in the advertisement in **Appendix-1**. and proformae of caste certificates for different reserved categories are given in **Appendix-2**. The plan of Examination on **Appendix-3**, the syllabus for Preliminary Examination on **Appendix-4** and Instructions and syllabus for the Combined State / Upper Subordinate Services Main Examination is given on **Appendix-5** respectively. The relevant service rules of related posts are given in **Appendix-6**.

**Detailed Application Form:**

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

**Notification Details**

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

**Personnel Details from OTR**

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

**Education & Experience Details**

It shows your educational and experience details

**Declaration segment**

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

**[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]**

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

**IMPORTANT ANNOUNCEMENT**

**:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS**

• All Notification/Advertisements

**:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION**

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

**:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION**

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

**LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:** On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

**Appendix-1**

The name of the districts in which the Preliminary Examination will be held are as follows - (1) Agra, (2) Aligarh, (3) Ambedkar Nagar, (4) Ayodhya, (5) Azamgarh, (6) Banda, (7) Ballia, (8) Budaun, (9) Bareilly, (10) Basti, (11) Bijnor, (12) Bulandshahr, (13) Chandauli, (14) Deoria, (15) Fatehpur, (16) Firozabad, (17) Ghazipur, (18) Ghaziabad, (19) Gorakhpur, (20) Greater Noida (Gautam Buddha Nagar), (21) Gonda, (22) Hapur, (23) Hardoi, (24) Etawah, (25) Jaunpur, (26) Jhansi, (27) Jyotibaphule Nagar, (28) Kanpur Nagar, (29) Kaushambi, (30) Kushinagar, (31) Lakhimpur, (32) Lalitpur, (33) Lucknow, (34) Maharajganj, (35) Mainpuri, (36) Mathura, (37) Mau, (38) Meerut, (39) Mirzapur, (40) Moradabad, (41) Muzaffarnagar, (42) Prayagraj, (43) Pilibhit, (44) Raebareli, (45) Rampur, (46) Saharanpur, (47) Shahjahanpur, (48) Sitapur, (49) Sultanpur, (50) Varanasi, (51) Unnao.

**APPENDIX-2**

**उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

**(प्रपत्र-I)**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

**कार्यालय का नाम.....**  
**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र**

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....

**वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .. ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

**(प्रपत्र- I I)**

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र**

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लॉक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर



दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।  
**नोट:-** जो लागू नहीं हो उसे काट दें।  
**स्थान :-** आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।  
**दिनांक:-**

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

**उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र  
(दिव्यांगजन प्रारूप)**

**Form-II  
Certificate of Disability**

**(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.** ..... **Date:** .....  
 This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.....  
 ..... son/wife/daughter of Shri.....Date of Birth  
 (DD/MM/YY).....Age .....years,  
 male/female..... registration No. ....  
 permanent resident of House No. ....  
 Ward/Village/Street.....Post office.....  
 District.....State.....

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

- (A) he/she is a case of:
- locomotor disability
  - dwarfism
  - blindness
- (Please tick as applicable)
- (B) The diagnosis in his/her case is.....
- (A) he/she has .....% (in figure).....  
 percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her..... (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).
2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
with seal	with seal	with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:  
 In figures.....percent.  
 In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

**3. Reassessment of disability is:-**  
 (i) not necessary,  
 or  
 (ii) is recommended/ after..... years.....  
 months, and therefore this certificate shall be valid till .....  
 (DD) (MM) (YY)

- @ -e.g. Left/right/both arms/legs
- # - e.g. Single eye
- £ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of the Chairperson</b>
--------------------------------	--------------------------------	---

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

**Form-III  
Certificate of Disability  
(In cases of multiple disabilities)  
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.** ..... **Date:** .....  
 This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum .....  
 son/wife/ daughter of Shri ..... Date of birth  
 (DD/MM/YY).....age..... years,  
 male/ female.....Registration No.....  
 permanent resident of House No.....  
 Ward/Village/Street..... Post Office.....  
 District..... State.....  
 whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

**Form-IV  
Certificate of Disability  
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III )  
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

**Certificate No.** ..... **Date:** .....  
 This is to certify that we have carefully examined  
 Shri/Smt./Kum.....son/wife/daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY)  
 .....age ..... years, male/female.....Registration No..... permanent resident of House No.....Ward/Village/Street.....Post Office.....District.....State.....  
 whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability.  
 His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-

(i) not necessary.

or

(ii) is recommended/after ..... years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) .....

@ e.g. Left/right/both arms/legs

# e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी.....

सील.....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं  
शासनदेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985  
प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4

प्रारूप - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)  
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)  
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

### APPENDIX- 3 PLAN OF EXAMINATION

The competitive examination for the Combined State / Upper Subordinate Services Examination, 2024 comprise three successive stages viz :-

1- Preliminary Examination (Objective Type & Multiple choice).

2- Main Examination (Conventional Type, i.e. Written examination).

3- Viva- Voce (Personality Test).

#### PRELIMINARY EXAMINATION

The Preliminary examination for the Combined State / Upper Subordinate Services Examination will consist of two compulsory papers of which answer sheet be on OMR sheets. The syllabus for Combined State / Upper Subordinate Services Preliminary Examination is mentioned in Appendix-4 of this advertisement. The papers shall be 200 marks each and of two hours durations. Both the papers shall be objective Type & multiple choice in which there shall be 150-100 questions Respectively. The timing of paper I will be from 9.30 to 11.30 A.M. and paper II from 2.30 to 4.30 P.M.

**Note : (1) Paper-II of the Preliminary Examination will be a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%.**

**(2) It is mandatory for the Candidates to appear in both the papers of Preliminary Examination for the purpose of evaluation. Therefore a candidate will be disqualified in case he does not appear in both papers.**

**(3) The merit of the Candidates will be determined on the basis of marks obtained in Paper-I of the Preliminary Examination.**

**SUBJECTS FOR THE COMBINED STATE / UPPER SUBORDINATE SERVICES MAIN (WRITTEN) EXAMINATION :** The Written examination will consist of the following compulsory subjects. The syllabus whereof is mentioned in Appendix-5 of this advertisement.

#### (A) COMPULSORY SUBJECTS

1. General Hindi	Conventional	150 marks
2. Essay	Conventional	150 marks
3. General Studies (First Paper)	Conventional	200 marks
4. General Studies (Second Paper)	Conventional	200 marks

5. General Studies (Third Paper)	Conventional	200 marks
6. General Studies (Fourth Paper)	Conventional	200 marks
7. General Studies (Fifth Paper)	Conventional	200 marks
8. General Studies (Sixth Paper)	Conventional	200 marks

**Compulsory Subject viz:** All Papers Shall be Conventional type and for solving the questions three hours time is allowed. Two hundred maximum marks has been allotted for each General Studies question paper.

**Note: 1. Timing of examination paper of 3 hours i.e. 9.30 am to 12.30 pm & 2 pm to 5 pm.**

**2. A candidate shall be required to obtain such minimum marks in the paper of General Hindi, as may be determined by the Government or the Commission, as the case may be.**

### ( B ) PERSONALITY TEST (VIVA-VOCE) TOTAL MARKS 100

The test will relate to the matter of general interest keeping the matter of academic interest in view and for general awareness, intelligence, character, expression power/personality and general suitability for the service.

#### Appendix-4

#### Syllabus for Preliminary Examination Pertaining to the Combined State / Upper Subordinate Services Examination

#### Paper-I General Studies-I

Duration: Two hours  
Marks - 200

- Current events of national and international importance.
- History of India and Indian National Movement.
- India and World geography - Physical, Social, Economic geography of India and the World.
- Indian Polity and governance - Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues etc.
- Economic and Social Development - Sustainable Development, Poverty Inclusion, Demographics, Social Sector Initiatives, etc.
- General Issues on Environmental ecology, Bio-diversity and Climate Change- that do not require subject specialization.
- General Science

**Current events of national and international Importance:-** On Current Events of National and International Importance, candidates will be expected to have knowledge about them.

**History of India & Indian National Movement:-** In History emphasis should be on broad understanding social, economic and political aspects of Indian History. In the Indian National Movement, the candidates are expected to have synoptic view of nature and character of the freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.

**India and World Geography - Physical, Social, Economic geography of India and the World:** In World Geography only general understanding of the subject will be expected. Questions on the Geography of India will relate to Physical, Social & Economic Geography of India.

**Indian Polity and Governance - Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.:-** In Indian Polity, Economic and Culture, questions will test knowledge of country's political system including Panchayati Raj and Community Development, broad features of Economic policy in India and Indian Culture.

**Economic and Social Development Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector Initiatives, etc.:-** The candidates will be tested with respect to problems and relationship between Population, Environment and Urbanisation. General Issues on Environmental ecology, Bio-diversity and Climate Change - that do not require subject specialization, General awareness of the subject is expected from candidates.

**General Science:-** Questions on General Science will cover general appreciation and understanding of Science including matters of every day observation and experience, as may be expected of a well educated person, who has not made a special study of any scientific discipline.

**Note:-** Candidates are expected to have general awareness about the above subjects with special reference to Uttar Pradesh.

#### Paper-II General Studies-II

Duration : Two hours  
Marks - 200

- Comprehension.
- Interpersonal skills including communication skills.
- Logical reasoning and analytical ability.
- Decision making and problem solving.
- General mental ability
- Elementary Mathematics upto Class X level- Arithmetic, Algebra, Geometry and Statistics.
- General English upto Class X level.
- General Hindi upto Class X level.

#### Elementary Mathematics (Upto Class X Level)

**1. Arithmetic:-** (i) Number systems: Natural Numbers, Integers, Rational and Irrational numbers, Real numbers, Divisors of an Integer, prime Integers, L.C.M. and H.C.F. of integers and their Interrelationship. (ii) Average (iii) Ratio and proportion (iv) Percentage (v) Profit and Loss (vi) Simple and Compound Interests (vii) Work and Time (viii) Speed, Time and Distance

**2. Algebra :-** (i) Factors of polynomials, L.C.M. and H.C.F. of polynomials and their Interrelationship, Remainder theorem, simultaneous linear equations, quadratic equations. (ii) Set Theory:- Set, null set, subsets and proper subsets of a set, operations (Union, Intersections, difference, symmetric difference) between sets, venn diagram.

**3. Geometry:-** (i) Constructions and theorems regarding triangle, rectangle, square, trapezium and circles, their perimeter and area. (ii) Volume and surface area of sphere, right circular cylinder, right circular Cone and Cube.

**4. Statistics:-** Collection of data, Classification of data, frequency, frequency distribution, tabulation, cumulative frequency. Representation of data - Bar diagram, Pie chart, histogram, frequency polygon, cumulative frequency curves (ogives), Measures of Central tendency: Arithmetic Mean, Median and Mode.

#### General English Upto Class X Level

1. Comprehension
2. Active Voice and Passive Voice
3. Parts of Speech
4. Transformation of Sentences
5. Direct and Indirect Speech
6. Punctuation and Spellings
7. Words meanings
8. Vocabulary & Usage
9. Idioms and Phrases
10. Fill in the Blanks

#### सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह | (8) पर्यायवाची शब्द                                 |
| (2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ  | (9) मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ                         |
| (3) शब्द-रूप                     | (10) तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)     |
| (4) संधि, समास                   | (11) वर्तनी   |
| (5) क्रियायें                    | (12) अर्थबोध  |
| (6) अनेकार्थी शब्द               | (13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ |
| (7) विलोम शब्द                   | (14) उ०प्र० की मुख्य बोलियाँ                        |

#### APPENDIX- 5

#### RULES AND SYLLABUS FOR THE COMBINED STATE / UPPER SUBORDINATE SERVICES MAIN (WRITTEN) EXAMINATION

1. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. 2. **CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY SHOULD NOT WRITE THEIR ROLL-NUMBERS ANYWHERE EXCEPT IN THE SPACE PROVIDED ON THE COVER OF THEIR ANSWER BOOK/BOOKS OTHERWISE THEY WILL BE PENALISED BY A DEDUCTION OF MARKS. ALSO THEY SHOULD NOT WRITE, THEIR NAMES ANYWHERE OTHERWISE THEY MAY BE DISQUALIFIED.** 3. If a Candidate's handwriting is not easily legible, deduction may be made from the total marks. 4. A candidate may answer question papers in English Roman Script or Hindi in Devnagri Script or in Urdu in Persian script provided that the language papers as a whole must be answered in any of the above script unless it is otherwise indicated in question paper. 5. The question papers shall be in English in Roman Script and Hindi in Devnagri Script. 6. The standard of knowledge required of candidates in compulsory papers will be such as a young man holding a Bachelor's Degree of a University is expected to have except where the syllabus indicating otherwise.

#### सामान्य हिन्दी

(1) दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण। (3) सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। (4) शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एकशब्द, (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, (5) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

#### ESSAY

There will be three sections in the question paper of Essay. Candidates will have to select one topic from each section and they are required to write essay in 700 words on each topic. In the three sections, topics of essay will be based on following sphere :

**Section A : (1) Literature and Culture. (2) Social sphere. (3) Political sphere.**

**Section B: (1) Science, Environment and Technology. (2) Economic Sphere (3) Agriculture, Industry and Trade.**

**Section C: (1) National and International Events. (2) Natural Calamities, Land slide, Earthquake, Deluge, Drought etc. (3) National Development programmes and projects.**

#### Main Examination Syllabus for General Studies paper I to VI

#### GENERAL STUDIES-I

- 1- History of Indian Culture will cover the salient aspects of Art Forms, literature and Architecture from ancient to modern times.
- 2- Modern Indian history (from A.D.1757 to A.D. 1947): Significant events, personalities and issues, etc.
- 3- The Freedom Struggle-its various stages and important contributors/contributions from different parts of the country.
- 4-Post-independence consolidation and reorganization within the country (till 1965A.D.).
- 5- History of the world will include events from 18<sup>th</sup> century to middle of the 20<sup>th</sup> century such as French revolution of 1789, Industrial revolution, World Wars, redraw of nationalboundaries, Socialism, Nazism, Fascism etc-their forms and effect on the society.
- 6-Salient features of Indian Society and culture.
- 7- Role of Women in society and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies.
- 8- Meaning of liberalization, privatization and globalization and their effects on economy, polity and social structure.
- 9-Social empowerment, communalism, regionalism & secularism.
- 10- Distribution of major natural resources of World- Water, Soils, Forests in reference to South and South-East Asia with special reference to India. Factors responsible for the location of industries (with special reference to India).
- 11- Salient features of Physical Geography- Earthquake, Tsunami, Volcanic activity, Cyclone, Ocean Currents, winds and glaciers.
- 12-Oceanic resources of India and their potential.

- 13- Human migration-refugee problem of the World with focus on India.  
 14-Frontiers and boundaries with reference to Indian sub-continent.  
 15- Population and Settlements- Types and Patterns, Urbanization, Smart Cities and Smart Villages.

**GENERAL STUDIES-II**

- 1- Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure, Role of Supreme Court in evolution of basic provisions of Constitution.  
 2- Functions and responsibilities of the Union and the States: Issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein.  
 3-Role of Finance Commission in Centre-State financial relations.  
 4-Separation of powers, dispute redressal mechanisms and institutions. Emergence and use of alternative dispute redressal mechanisms.  
 5- Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other major democratic countries.  
 6- Parliament and State legislatures-structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and concerned issues.  
 7- Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary: Ministries and Departments of the Government, Pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity, Public Interest Litigation (PIL).  
 8-Salient features of the Representation of People's Act. Appointment to various Constitutional posts, Powers, functions and their responsibilities.  
 10- Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies including NITI Aayog, their features and functioning.  
 11- Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design, implementation and Information Communication Technology (ICT).  
 12- Development processes- the role of Non Governmental Organizations (NGOs), Self Help Groups (SHGs), various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders.  
 13-Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.  
 14-Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.  
 15-Issues relating to poverty and hunger, their implication on body politic.  
 16- Important aspects of governance. Transparency and accountability, e-governance applications, models, successes, limitations and potential, citizens, charters and institutional measures.  
 17-Role of Civil Services in a democracy in the context of emerging trends.  
 18-India and its relationship with neighbouring Countries.  
 19- Bilateral, Regional and Global groupings and agreements involving India and/ or affecting India's interest.  
 20- Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests-Indian diaspora.  
 21- Important International Institutions, Agencies their structure, mandate and functioning.  
 22-Current affairs and events of Regional, National and International importance.

**GENERAL STUDIES-III**

- 1-Economic planning in India, objectives and achievements. Role of NITI Aayog, Pursuit of Sustainable Development Goals (SDG's).  
 2-Issues of Poverty, Unemployment, Social justice and inclusive growth.  
 3-Components of Government Budgets and Financial System.  
 4-Major Crops, Different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport and marketing of agricultural produce, e-technology in the aid of farmers.  
 5-Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, Public Distribution System- objectives, functioning, Limitations, revamping, issues of buffer stocks and food security, Technology missions in agriculture.  
 6- Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management.  
 7-Land reforms in India since independence.  
 8- Effects of liberalization and globalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.  
 9-Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.  
 10- Science and Technology-developments and applications in everyday life and in National Security, India's Science and Technology policy.  
 11- Achievements of Indians in science & technology, indigenization of technology. Developments of New technologies, transfer of technology, dual and critical use technologies.  
 12-Awareness in the fields of Information and Communication Technology (ICT) and Space Technology, Computers, Energy resources, nano- technology, microbiology, bio- technology. Issues relating to intellectual property rights (IPR) and digital rights.  
 13- Environmental security and Ecosystems, Conservation of Wild life, Biodiversity, Environmental pollution and degradation, environmental impact assessment.  
 14- Disaster as a Non-traditional security and safety challenge, disaster mitigation and management.  
 15- Challenges of International Security: Issues of Nuclear proliferation, Causes and spread of extremism, Communication networks, role of media and social networking, Basics of cyber security, money laundering and human trafficking.  
 16-India's internal security challenges: Terrorism, corruption, insurgency and organized crimes.  
 17-Role, kind and mandate of security forces, Higher defence organizations in India  
 18-Issues in Agriculture, Horticulture, Forestry and Animal Husbandry.

**GENERAL STUDIES-IV**

- 1- Ethics and Human Interface: Essence, determinants and consequences of Ethics in human action, dimensions of ethics, ethics in private and public relationships. Human Values-lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institutions in inculcating values.  
 2- Attitude: Content, structure, function, its influence and relation with thought and behavior, moral and political attitudes, social influence and persuasion.  
 3- Aptitude and foundational values for Civil Service, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public services, empathy, tolerance and compassion towards the weaker-sections.  
 4- Emotional Intelligence- concept and dimensions, its utility and application in administration and governance.  
 5-Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world.  
 6- Public/Civil Service values and ethics in Public Administration: status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, corporate governance.  
 7- Probity in Governance: concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government. Right to Information, codes of ethics, codes of conduct, citizen's charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption.  
 8-Case studies on above issues.

**GENERAL STUDIES-V**

- 1-History, Civilization, Culture and Ancient Cities of UP.  
 2-Architecture, their significance and maintainability, museum, archive and archaeology of UP.  
 3-Contributions of UP in Pre and post 1857 freedom struggles of India.  
 4-Eminent freedom fighters and personalities of UP.  
 5- Rural, Urban and Tribal issues: social structure, festivals, fairs, music, folk dances, literature and languages/dialects, social customs of UP.  
 6- Political System of UP: Governance, Governor, Chief Minister, Council of Ministers, State Assembly and State Council, Center-State Relation.  
 7- Public Service, Public Service Commission, Auditing, Advocate General, High Court and its jurisdiction in UP.  
 8- Special State Selection Criteria, Official Language, Consolidated Fund and Contingency fund, Political Parties and State Election Commission of UP.  
 9-Local Self Government: Urban and Panchayati Raj, Public Policy, Right related issues in UP.  
 10- Good Governance, Eradication of Corruption, Lokayukta, Citizen Charters, E-Governance, Right to Information, Redressal Policy.  
 11-Land Reforms and its impact in UP.  
 12-Issues Related to Security in UP.(i) Linkage between development and spread of extremism.(ii) Role of External, State and Interstate actors in creating challenges to internal security through communication networks, media and social networking sites.(iii) Basic rules of cyber security, money-laundering and its prevention.(iv) Various security forces and agencies and their mandate.(v) Security challenges and their management in border areas, linkage of organized crimes with terrorism.  
 13-Law and Order and Civil Defense in UP  
 14- Medical and Health issues in UP  
 15-State Education System of UP.  
 16-Contribution of U P in development of India,  
 17-Current Affairs of UP.  
 18-Implementation of Jal Shakti Mission and other central welfare scheme in UP.  
 19-NGOs in UP: Issues, Contribution and Impact.  
 20-Tourism in UP: Issues and prospects.  
 21-Emphasis on Innovation in various fields in UP: Issues and it's impact on employment and socio-economic development of the society.

**GENERAL STUDIES- VI**

- 1- Overview of Economy of UP: Main features of economy and State Budgets, Infrastructure and importance of Physical Resources.  
 2-Trade, Commerce and industries of UP.  
 3-UP Government Schemes, Projects and Planned Development for welfare of People, Human Resources and Skill Development.  
 4-Investment in UP: Issues and Impact  
 5- Public Finance and Fiscal Policy, Tax and Economic Reforms, One District One Product Policy of UP Government.  
 6-Planning and management of renewable and non-renewable energy resources of UP.  
 7-Demography, Population and Censuses of UP.  
 8-Commercialization of agriculture and production of agricultural crops in UP.  
 9-UP New Forest Policy.  
 10-Agro and Social Forestry in U.P  
 11-Agricultural Diversity, Problems of agriculture and their solutions in UP.  
 12-Developmental Indices of UP in various fields.  
 13- Geography of UP: Geographical Location, Relief and Structure, Climate, Irrigation, Minerals, Drainage System and Vegetation.  
 14-National Parks and Wild Life Sanctuaries in UP.  
 15-Transport Network in UP.  
 16-Power Resources, Infrastructure and Industrial Development of UP.  
 17-Pollution and Environmental Issues in UP, Pollution Control Board and its functions.  
 18-Natural Resources of UP-Soil, Water, Air, Forests, Grasslands, Wetlands.  
 19-Climate Change and Weather Forecasting issues in UP.  
 20- Habitat and Ecosystem, structure and function, adjustment, Flora and Fauna with reference to UP.  
 21-Science and Technology: Its issues, advancements and efforts in UP.  
 22- Aquaculture, Viticulture, Sericulture, Floriculture, Horticulture, Arboric culture in up and its impact on development of UP.  
 23-Evolvement of Public-Private Partnership (PPP) for development of UP.

## **Appendix-6**

### **Relevant Service Rules of related Posts**

- The Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) Rules, 1982 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Finance And Accounts Service Rules, 1992 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Naib-Tehsildars) Service Rules, 2003 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Backward class (Gazetted officers) service Rules, 1998 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Industries (Directorate of Handloom and Textiles) Service Rules, 1993 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Sub- Registrar's Service Rules, 1983 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Food and Civil Supplies (weights and Measures) Service Rules, 1981 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Harijan and Social welfare Gazetted officer's Service Rules, 1991 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Food and Civil supplies (Marketing Branch) Service Rules, 1981 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Minority welfare Department Gazetted officers Service Rules, 2001 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Provincial Development Service Rules, 1991 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Industries Service Rules, 2014.
- The Uttar Pradesh Co-operative Service Rules, 1979 (As Amended)
- The Uttar Pradesh Estate Department Manager and Management officer Service Rules, 2020.
- The Uttar Pradesh Zila Panchayat (Central Transferable Cadre) Rules, 1966 (As Amended)

Secretary